

बार कोड : 

--	--	--	--	--	--	--	--

पैन : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## फॉर्म क्र. 15 एच

## [धारा 197 ए (1C), 197 ए (1) और नियम 29 C देखें]

आयकर कानून 1961 की धारा 197 ए (1) और धारा 197 ए (1) के अंतर्गत कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने वाले व्यक्ति (केवल व्यक्ति का फर्म नहीं) द्वारा की जाने वाली घोषणा।

## भाग 1

1. असेसी (घोषणाकर्ता) का नाम		2. असेसी का पैन			
		3. आयु	4. असेसमेंट वर्ष (जिसके लिए घोषणा की जानी है)		
5. फ्लैट/डोर/ब्लॉक नं.	6. भवन का नाम	7. किस वॉर्ड / सर्कल में असेस किया गया।			
8. सड़क/गली/लेन	9. क्षेत्र/इलाका	10. ए ओ कोड (पिछली बार जिसके तहत असेस किया गया था)			
11. नगर/शहर/ज़िला	12. राज्य	एरिया कोड	ए ओ टाइप		
	13. पिन	रेज कोड	ए ओ क्र.		
15. ईमेल	16. फोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं.	14. पिछला असेसमेंट वर्ष जिसमें असेस किया गया।			
18. व्यवसाय / पेशे का नाम		17. वर्तमान वॉर्ड/सर्कल			
20. आयकर के ज्युरिस्टिक्शनल मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त (यदि पहले आयकर का आकलन नहीं किया गया।)		एरिया कोड	ए ओ टाइप		
		रेज कोड	ए ओ क्र.		
21. पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम 21 में वर्णित आय को शामिल किया जाना चाहिए। (कृपया संबंधित खाने में चिन्ह लगाएं)					
अनुसूची I में संदर्भित शेअर्स का डिविडेंड <input type="checkbox"/>					
अनुसूची II में संदर्भित प्रतिभूतियों पर व्याज <input type="checkbox"/>					
अनुसूची III में संदर्भित राशियों पर व्याज <input type="checkbox"/>					
अनुसूची IV में संदर्भित यूनिटों से आय <input type="checkbox"/>					
अनुसूची V में संदर्भित नेशनल सेविंग स्कीम से धारा 80 सीरीए (2)(ए) में संदर्भित निकासी की राशि. <input type="checkbox"/>					
22. नीचे वर्णित रेखों से अनुमानित कुल आय।					
23. नियेशों के विवरण जिसके संदर्भ में घोषणा की जा रही है : अनुसूची I					
शेयरों की संख्या	शेयरों की श्रेणी और प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	शेयरों का कुल अंकित मूल्य	शेयरों की विशिष्ट संख्याएं	घोषणाकर्ता द्वारा शेयरअर्जित किए जाने की दिनांक(के) (दिन/माह/वर्ष)	
अनुसूची II					
सिक्योरिटीज के विवरण	सिक्योरिटीज की संख्या	सिक्योरिटीज की राशि	सिक्योरिटीज की तिथि(यां) (दिन/माह/वर्ष)	घोषणाकर्ता द्वारा शेयरअर्जित किए जाने की दिनांक(के) (दिन/माह/वर्ष)	
अनुसूची III					
उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे व्याज पर धनराशि दी गई		व्याज पर दी गई <sup>1</sup> राशि	दिनांक जब धनराशि व्याज पर दी गई (दिन/माह/वर्ष)	अवधि जिसके लिए यह धनराशि व्याज पर दी गई	व्याज की दर
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड © ग्राहक का पहचान पत्र :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

91/12.04.2013

अनिवार्य: शाखा द्वारा भरा जाना है

फॉर्म 15 एच के लिए जांच सूची(60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए)

मैंने निम्नलिखित की जांच की है तथा पुष्टि करता हूँ	निशान लगाएं (✓ या ✗)
ग्राहक की आयु >= 60 वर्ष है (यदि आयु 60 वर्ष से कम हो तो फॉर्म 15 जी भरें)	
ग्राहक के ग्राहक पहचान कार्ड के सामने बैंक रिकार्ड में पैन कार्ड संख्या को अद्यतन किया जाए	
पैन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न (यदि प्रणाली में अद्यतन न किया गया हो)	
ग्राहक ने छह स्थानों पर हस्ताक्षर किए हैं (द्वारा दर्शाया गया है)	
© चिन्हित क्षेत्र भरे जाने अनिवार्य हैं	
नियोजक का नाम ..... नियोजक की कोड संख्या .....	
नियोजक के हस्ताक्षर ..... दिनांक .....	

**HDFC BANK**  
We understand your world

Branch  
Seal with  
Sign &  
Date

## अनुसूची IV

म्यूचुअल फंड का नाम और पता	यूनिट्स की संख्या	यूनिट्स की श्रेणी और प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य	यूनिट्स की विशिष्ट संख्या	यूनिट्स के संबंध में आय
----------------------------	-------------------	---	---------------------------	-------------------------

## अनुसूची V

डाक-घर का विवरण जहाँ राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत खाता खोला हुआ है तथा खाता संख्या	दिनांक जब खाता खोला गया (दिन/माह/वर्ष)	खाते से आहरण की राशि
---	---	----------------------



घोषणकर्ता का हस्ताक्षर

## घोषणा / सत्यापन

मैं / हम ..... एतद्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऊपर वर्णित जानकारी सही, पूर्ण है तथा वह सत्य वर्णन करती है और यह कि इस फॉर्म में संदर्भित आमदनी आयकर कानून 1961 की धारा 60 से 64 के तहत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल करने योग्य नहीं है। मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरी / हमारी अनुमानित कुल आय कॉलम 21 में संदर्भित आय सहित, पर कर की गणना असेसमेंट वर्ष ..... से संबंधित ..... को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आयकर कानून 1961 के प्रावधानों के अनुसार शून्य होगी। मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते हैं कि असेसमेंट वर्ष ..... से संबंधित ..... को समाप्त पिछले वर्ष के लिए कॉलम 22 में संदर्भित मेरी / हमारी आय अधिकतम राशि से ज्यादा नहीं होगी जो आयकर के लिए वसूलने योग्य नहीं है।

स्थान :

दिनांक :



घोषणकर्ता का हस्ताक्षर

## भाग II

(उस व्यक्ति द्वारा उपयोग हेतु जिसके लिए घोषणा दी गई है।)

1. भाग I के कॉलम 22 में संदर्भित आय अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम ..... एचडीएफसी बैंक नि.	2. भाग II के कॉलम 1 में निर्देशित व्यक्ति का वैन AAACH2702H
3. पूरा पता एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र - 400013.	4. भाग II के कॉलम 1 में निर्देशित व्यक्ति का टैन MUMHO3189E
5. ईमेल : support@hdfcbank.com	6. (फोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं. :  7. दर्जा देशी कंपनी
8. दिनांक जिस पर घोषणा दी गई (दिन/माह/वर्ष)	9. अवधि जिसके संदर्भ में डिविडेंड घोषित किया गया या आय अदा / जमा की गई।  10. अदा आय की राशि
12. नेशनल सेविंग्स स्कीम के तहत डिविडेंड / निकासी की घोषणा, विवरण या भुगतान का दिनांक दिन/माह/वर्ष	13. नेशनल सेविंग स्कीम का अकाउंट नंबर जिसके निकासी की गई लागू नहीं

मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को अग्रेषित.....


स्थान :

दिनांक :

भाग I के कॉलम 21 में संदर्भित आय अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

## नोट:

1. डाक-तार का पूरा पता दीजिए।
2. घोषणा तीन प्रतियों में दी जाए।
3. \*जो लागू न हो उसे काट दें।
4. सत्यापन (जाँच) पर हस्ताक्षर करने से पहले घोषणाकर्ता संतुष्टि कर ले कि घोषणा में दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सत्य, सही और पूरी है। घोषणा-पत्र में झूठा कथन देने वाले व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोग लगाया जा सकता है, तथा दोषी पाए जाने पर दण्ड दिया जाएगा-
  - (i) कर से बचने की मांग 25 लाख रुपये से अधिक हो जाने की स्थिति में छ: महीने से अनधिक लेकिन सात वर्ष तक जुमने के साथ बढ़ाए जाने के योग्य कठोर कारावास;
  - (ii) किसी अन्य प्रकरण में, कठोर कारावास जो तीन माह से कम नहीं होगा लेकिन इसे जुमने के साथ दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
5. भाग I के कॉलम 21 में संदर्भित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहाँ धारा 197 ए के उप धारा (1) या उप धारा (1ए) में संदर्भित स्वरूप की आय राशि या ऐसी जमा या अदा की राशि का योग या पिछले वर्ष के दौरान जमा या अदा की जाने वाली संभावित राशि जिसमें शामिल की जानेवाली ऐसी आय अधिकतम राशि से अधिक हो जाती है, जो चैप्टर VI ए के तहत कर और कटौती लेने योग्य नहीं है, जिसके लिए घोषणाकर्ता पात्र हैं।

बार कोड : पैन : 

## फॉर्म क्र. 15 एच

## [धारा 197 ए (1C), 197 ए (1) और नियम 29 C देखें ]

आयकर कानून 1961 की धारा 197 ए (1) और धारा 197 ए (1) के अंतर्गत कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने वाले व्यक्ति (केवल व्यक्ति का फर्म नहीं) द्वारा की जाने वाली घोषणा।

## भाग 1

1. असेसी (घोषणाकर्ता) का नाम		2. असेसी का पैन			
		3. आयु	4. असेसमेंट वर्ष (जिसके लिए घोषणा की जानी है)		
5. फ्लैट/डोर/ब्लॉक नं.	6. भवन का नाम	7. किस वॉर्ड / सर्कल में असेस किया गया।			
8. सड़क/गली/लेन	9. क्षेत्र/इलाका	10. ए ओ कोड (पिछली बार जिसके तहत असेस किया गया था)			
11. नगर/शहर/ज़िला	12. राज्य	एरिया कोड	ए ओ टाइप		
	13. पिन	रेज कोड	ए ओ क्र.		
15. ईमेल	16. फोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं.	14. पिछला असेसमेंट वर्ष जिसमें असेस किया गया।			
18. व्यवसाय / पेशे का नाम		17. वर्तमान वॉर्ड/सर्कल			
20. आयकर के ज्युरिस्टिक्शनल मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त (यदि पहले आयकर का आकलन नहीं किया गया।)		एरिया कोड	ए ओ टाइप		
		रेज कोड	ए ओ क्र.		
21. पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम 21 में वर्णित आय को शामिल किया जाना चाहिए। (कृपया संबंधित खाने में चिन्ह लगाएं)					
अनुसूची I में संदर्भित शेअर्स का डिविडेंड <input type="checkbox"/>					
अनुसूची II में संदर्भित प्रतिभूतियों पर व्याज <input type="checkbox"/>					
अनुसूची III में संदर्भित राशियों पर व्याज <input type="checkbox"/>					
अनुसूची IV में संदर्भित यूनिटों से आय <input type="checkbox"/>					
अनुसूची V में संदर्भित नेशनल सेविंग स्कीम से धारा 80 सीरीए (2)(ए) में संदर्भित निकासी की राशि. <input type="checkbox"/>					
22. नीचे वर्णित रेखों से अनुमानित कुल आय।					
23. निवेशों के विवरण जिसके संदर्भ में घोषणा की जा रही है :					
अनुसूची I					
शेयरों की संख्या	शेयरों की श्रेणी और प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	शेयरों का कुल अंकित मूल्य	शेयरों की विशिष्ट संख्याएं		
			घोषणाकर्ता द्वारा शेयरअर्जित किए जाने की दिनांक(के) (दिन/माह/वर्ष)		
अनुसूची II					
सिक्योरिटीज के विवरण	सिक्योरिटीज की संख्या	सिक्योरिटीज की राशि	सिक्योरिटीज की तिथि(यां) (दिन/माह/वर्ष)	घोषणाकर्ता द्वारा शेयरअर्जित किए जाने की दिनांक(के) (दिन/माह/वर्ष)	
अनुसूची III					
उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे व्याज पर धनराशि दी गई		व्याज पर दी गई राशि	दिनांक जब धनराशि व्याज पर दी गई (दिन/माह/वर्ष)	अवधि जिसके लिए यह धनराशि व्याज पर दी गई	व्याज की दर
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड © ग्राहक का पहचान पत्र :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					
© एफडी संख्या :					

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर


  
We understand your world

Branch Seal with  
Sign &  
Date

## अनुसूची IV

म्यूचुअल फंड का नाम और पता	यूनिट्स की संख्या	यूनिट्स की श्रेणी और प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य	यूनिट्स की विशिष्ट संख्या	यूनिट्स के संबंध में आय
----------------------------	-------------------	--	---------------------------	-------------------------

## अनुसूची V

डाक-घर का विवरण जहाँ राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत खाता खोला हुआ है तथा खाता संख्या	दिनांक जब खाता खोला गया (दिन/माह/वर्ष)	खाते से आहरण की राशि
--	---	----------------------



## घोषणकर्ता का हस्ताक्षर

## घोषणा / सत्यापन

मैं / हम ..... एतद्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऊपर वर्णित जानकारी सही, पूर्ण है तथा वह सत्य वर्णन करती है और यह कि इस फॉर्म में संदर्भित आमदनी आयकर कानून 1961 की धारा 60 से 64 के तहत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल करने योग्य नहीं है। मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरी / हमारी अनुमानित कुल आय कॉलम 21 में संदर्भित आय सहित, पर कर की गणना असेसमेंट वर्ष ..... से संबंधित ..... को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आयकर कानून 1961 के प्रावधानों के अनुसार शून्य होगी। मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते हैं कि असेसमेंट वर्ष ..... से संबंधित ..... को समाप्त पिछले वर्ष के लिए कॉलम 22 में संदर्भित मेरी / हमारी आय अधिकतम राशि से ज्यादा नहीं होगी जो आयकर के लिए वसूलने योग्य नहीं है।

स्थान :

दिनांक :



## घोषणकर्ता का हस्ताक्षर

## भाग II

(उस व्यक्ति द्वारा उपयोग हेतु जिसके लिए घोषणा दी गई है।)

1. भाग I के कॉलम 22 में संदर्भित आय अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम ..... एचडीएफसी बैंक लि.	2. भाग II के कॉलम 1 में निर्देशित व्यक्ति का पैन AAACH2702H
3. पूरा पता एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र - 400013.	4. भाग II के कॉलम 1 में निर्देशित व्यक्ति का टैन MUMHO3189E
5. ईमेल : support@hdfcbank.com	6. (फोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं. :  7. दर्जा देशी कंपनी
8. दिनांक जिस पर घोषणा दी गई (दिन/माह/वर्ष)	9. अवधि जिसके संदर्भ में डिविडेंड घोषित किया गया या आय अदा / जमा की गई।  10. अदा आय की राशि
12. नेशनल सेविंग्स स्कीम के तहत डिविडेंड / निकासी की घोषणा, विवरण या भुगतान का दिनांक दिन/माह/वर्ष	13. नेशनल सेविंग स्कीम का अकाउंट नंबर जिसके निकासी की गई लागू नहीं

मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को अग्रेषित.....

स्थान :

भाग I के कॉलम 21 में संदर्भित आय अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

दिनांक :

## नोट:

1. डाक-तार का पूरा पता दीजिए।
2. घोषणा तीन प्रतियों में दी जाए।
3. \*जो लागू न हो उसे काट दें।
4. सत्यापन (जाँच) पर हस्ताक्षर करने से पहले घोषणाकर्ता संतुष्टि कर ले कि घोषणा में दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सत्य, सही और पूरी है। घोषणा-पत्र में झूठा कथन देने वाले व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोग लगाया जा सकता है, तथा दोषी पाए जाने पर दण्ड दिया जाएगा-
  - (i) कर से बचने की मांग 25 लाख रुपये से अधिक हो जाने की स्थिति में छ: महीने से अनधिक लेकिन सात वर्ष तक जुमनी के साथ बढ़ाए जाने के योग्य कठोर कारावास;
  - (ii) किसी अन्य प्रकरण में, कठोर कारावास जो तीन माह से कम नहीं होगा लेकिन इसे जुमनी के साथ दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
5. भाग I के कॉलम 21 में संदर्भित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घोषणा को स्थीकार नहीं करेगा जहाँ धारा 197 ए के उप धारा (1) या उप धारा (1ए) में संदर्भित स्वरूप की आय राशि या ऐसी जमा या अदा की राशि का योग या पिछले वर्ष के दौरान जमा या अदा की जाने वाली संभावित राशि जिसमें शामिल की जानेवाली ऐसी आय अधिकतम राशि से अधिक हो जाती है, जो चैप्टर VI ए के तहत कर और कटौती लेने योग्य नहीं है, जिसके लिए घोषणाकर्ता पात्र हैं।

## अस्वीकरण

1. फॉर्म 15 एच केवल 60 वर्ष से अधिक या समान आयु के व्यक्तियों द्वारा भरा जाना है (यदि आयु 60 वर्ष से कम हो तो फॉर्म 15 जी भरें)
2. यदि पैन के विवरण बैंक के रिकार्डों में अद्यतन नहीं किए गए हैं तो टीडीएस का छूट चिन्हित नहीं किया जाएगा।
3. टीडीएस का छूट इस फॉर्म के जमा करने की क्षमता से ही की गई हो, वापस नहीं किया जाएगा तथा आयकर विभाग से मांगा जाएगा।
4. स्रोत पर काटा गया कर जिसकी कटौती पहले से ही की गई हो, वापस नहीं किया जाएगा तथा आयकर विभाग से मांगा जाएगा।
5. प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष के आरंभ में नया फॉर्म 15 एच जमा किया जाना आवश्यक है।
6. फॉर्म 15 एच तीन प्रतियों में जमा किया जाना आवश्यक है।
7. इस बात पर ध्यान दिए बिना कि व्याज आयकर विभाग द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो गया है, एक बार फॉर्म 15 एच जमा किए जाने के बाद स्रोत पर कर कटौती अनुप्रयोज्य नहीं होगी।  
एक बार फॉर्म 15 एच जमा किए जाने के बाद अनुवर्ती सावधि जमाओं के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी।
8. फॉर्म 15 एच के विलंब से या यैर-प्रस्तुत या गलत प्रस्तुत किए जाने के कारण उत्पन्न किसी परिणाम या हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
9. मैं/हम पूर्णतया समझते हैं कि पैन के गलत उद्धरण के, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के अंतर्गत दंडात्मक परिणाम हो सकते हैं तथा पैन के गलत उद्धरण के कारण उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है।

बार कोड : पैन : 

## फॉर्म क्र. 15 एच

## [धारा 197 ए (1C), 197 ए (1ए) और नियम 29 C देखें ]

आयकर कानून 1961 की धारा 197 ए (1) और धारा 197 ए (1ए) के अंतर्गत कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने वाले व्यक्ति (कंपनी का फर्म नहीं) द्वारा की जाने वाली घोषणा।

## भाग 1

1. असेसी (घोषणाकर्ता) का नाम		2. असेसी का पैन			
		3. आयु	4. असेसमेंट वर्ष (जिसके लिए घोषणा की जानी है)		
5. प्लैट/डोर/ब्लॉक नं.	6. भवन का नाम	7. किस वॉर्ड / सर्कल में असेस किया गया।			
8. सड़क/गली/लेन	9. क्षेत्र/इलाका	10. ए ओ कोड (पिछली बार जिसके तहत असेस किया गया था)			
11. नगर/शहर/जिला	12. राज्य	एसिया कोड	ए ओ टाइप		
	13. पिन	रेज कोड	ए ओ क्र.		
15. ईमेल	16. फोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं.	14. पिछला असेसमेंट वर्ष जिसमें असेस किया गया।			
18. व्यवसाय / पेशे का नाम		17. वर्तमान वॉर्ड/सर्कल			
20. आयकर के ज्युरिस्टिक्शनल मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त (यदि पहले आयकर का आकलन नहीं किया गया।)		एसिया कोड	ए ओ टाइप		
		रेज कोड	ए ओ क्र.		
21. पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम 21 में वर्गित आय को शामिल किया जाना चाहिए। (कृपया संबंधित खाने में चिन्ह लगाएं)					
अनुसूची I में संदर्भित शेअर्स का डिविडेंड <input type="checkbox"/>					
अनुसूची II में संदर्भित प्रतिभूतियों पर व्याज <input type="checkbox"/>					
अनुसूची III में संदर्भित राशियों पर व्याज <input type="checkbox"/>					
अनुसूची IV में संदर्भित यूनिटों से आय <input type="checkbox"/>					
अनुसूची V में संदर्भित नेशनल सेविंग स्कीम से धारा 80 सीसीए (2)(ए) में संदर्भित निकासी की राशि। <input type="checkbox"/>					
22. नीचे वर्गित रेखों से अनुमानित कुल आय।					
23. नियेशों के विवरण जिसके संदर्भ में घोषणा की जा रही है :					
अनुसूची I					
शेयरों की संख्या	शेयरों की श्रेणी और प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	शेयरों का कुल अंकित मूल्य	शेयरों की विशिष्ट संख्याएं	घोषणाकर्ता द्वारा शेयरअर्जित किए जाने की दिनांक(के) (दिन/माह/वर्ष)	
अनुसूची II					
सिक्योरिटीज के विवरण	सिक्योरिटीज की संख्या	सिक्योरिटीज की राशि	सिक्योरिटीज की तिथि(यां) (दिन/माह/वर्ष)	घोषणाकर्ता द्वारा शेयरअर्जित किए जाने की दिनांक(के) (दिन/माह/वर्ष)	
अनुसूची III					
उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे व्याज पर धनराशि दी गई		व्याज पर दी गई राशि	दिनांक जब धनराशि व्याज पर दी गई (दिन/माह/वर्ष)	अवधि जिसके लिए यह धनराशि व्याज पर दी गई	व्याज की दर
एचडीएफरी बैंक लिमिटेड ◎ ग्राहक का पहचान पत्र :					
◎ एफडी संख्या :					
◎ एफडी संख्या :					
◎ एफडी संख्या :					
◎ एफडी संख्या :					
◎ एफडी संख्या :					
◎ एफडी संख्या :					
◎ एफडी संख्या :					
◎ एफडी संख्या :					
◎ एफडी संख्या :					



घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर



**HDFC BANK**  
We understand your world

Branch  
Seal with  
Sign &  
Date

## अनुसूची IV

म्यूचुअल फंड का नाम और पता	यूनिट्स की संख्या	यूनिट्स की श्रेणी और प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य	यूनिट्स की विशिष्ट संख्या	यूनिट्स के संबंध में आय
----------------------------	-------------------	---	---------------------------	-------------------------

## अनुसूची V

डाक-घर का विवरण जहाँ राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत खाता खोला हुआ है तथा खाता संख्या	दिनांक जब खाता खोला गया (दिन/माह/वर्ष)	खाते से आहरण की राशि
---	---	----------------------



## घोषणकर्ता का हस्ताक्षर

## घोषणा / सत्यापन

मैं / हम ..... एतद्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऊपर वर्णित जानकारी सही, पूर्ण है तथा वह सत्य वर्णन करती है और यह कि इस फॉर्म में संदर्भित आमदनी आयकर कानून 1961 की धारा 60 से 64 के तहत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल करने योग्य नहीं है। मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरी / हमारी अनुमानित कुल आय कॉलम 21 में संदर्भित आय सहित, पर कर की गणना असेसमेंट वर्ष ..... से संबंधित ..... को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आयकर कानून 1961 के प्रावधानों के अनुसार शून्य होगी। मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते हैं कि असेसमेंट वर्ष ..... से संबंधित ..... को समाप्त पिछले वर्ष के लिए कॉलम 22 में संदर्भित मेरी / हमारी आय अधिकतम राशि से ज्यादा नहीं होगी जो आयकर के लिए वसूलने योग्य नहीं है।

स्थान :

दिनांक :



## घोषणकर्ता का हस्ताक्षर

## भाग II

(उस व्यक्ति द्वारा उपयोग हेतु जिसके लिए घोषणा दी गई है।)

1. भाग I के कॉलम 22 में संदर्भित आय अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम ..... एचडीएफसी बैंक लि.	2. भाग II के कॉलम 1 में निर्देशित व्यक्ति का पैन AAACH2702H
3. पूरा पता एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र - 400013.	4. भाग II के कॉलम 1 में निर्देशित व्यक्ति का टैन MUMHO3189E
5. ईमेल : support@hdfcbank.com	6. (फोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं. :  7. दर्जा देशी कंपनी
8. दिनांक जिस पर घोषणा दी गई (दिन/माह/वर्ष)	9. अवधि जिसके संदर्भ में डिविडेंड घोषित किया गया या आय अदा / जमा की गई।  10. अदा आय की राशि
12. नेशनल सेविंग्स स्कीम के तहत डिविडेंड / निकासी की घोषणा, विवरण या भुगतान का दिनांक दिन/माह/वर्ष	11. दिनांक जब आय अदा / जमा की गई (दिन / माह / वर्ष)  13. नेशनल सेविंग स्कीम का अकाउंट नंबर जिसके निकासी की गई लागू नहीं

मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को अग्रेषित.....

स्थान :

भाग I के कॉलम 21 में संदर्भित आय अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

दिनांक :

## नोट:

1. डाक-तार का पूरा पता दीजिए।
2. घोषणा तीन प्रतियों में दी जाए।
3. \*जो लागू न हो उसे काट दें।
4. सत्यापन (जाँच) पर हस्ताक्षर करने से पहले घोषणाकर्ता संतुष्टि कर ले कि घोषणा में दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सत्य, सही और पूरी है। घोषणा-पत्र में झूठा कथन देने वाले व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोग लगाया जा सकता है, तथा दोषी पाए जाने पर दण्ड दिया जाएगा-
  - (i) कर से बचने की मांग 25 लाख रुपये से अधिक हो जाने की स्थिति में छ: महीने से अनधिक लेकिन सात वर्ष तक जुमनी के साथ बढ़ाए जाने के योग्य कठोर कारावास;
  - (ii) किसी अन्य प्रकरण में, कठोर कारावास जो तीन माह से कम नहीं होगा लेकिन इसे जुमनी के साथ दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
5. भाग I के कॉलम 21 में संदर्भित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहाँ धारा 197 ए के उप धारा (1) या उप धारा (1ए) में संदर्भित स्वरूप की आय राशि या ऐसी जमा या अदा की राशि का योग या पिछले वर्ष के दौरान जमा या अदा की जाने वाली संभावित राशि जिसमें शामिल की जानेवाली ऐसी आय अधिकतम राशि से अधिक हो जाती है, जो चैप्टर VI ए के तहत कर और कटौती लेने योग्य नहीं है, जिसके लिए घोषणाकर्ता पात्र हैं।

## अस्वीकरण

1. फॉर्म 15 एच केवल 60 वर्ष से अधिक या समान आयु के व्यक्तियों द्वारा भरा जाना है (यदि आयु 60 वर्ष से कम हो तो फॉर्म 15 जी भरें)
2. यदि पैन के विवरण बैंक के रिकार्डों में अद्यतन नहीं किए गए हैं तो टीडीएस का छूट यिन्हिंत नहीं किया जाएगा।
3. टीडीएस का छूट इस फॉर्म के जमा करने की तिथि से चिन्हित किया जाएगा।
4. स्रोत पर काटा गया कर जिसकी कटौती पहले से ही की गई हो, वापस नहीं किया जाएगा तथा आयकर विभाग से मांगा जाएगा।
5. प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष के आरंभ में नया फॉर्म 15 एच जमा किया जाना आवश्यक है।
6. फॉर्म 15 एच तीन प्रतियों में जमा किया जाना आवश्यक है।
7. इस बात पर ध्यान दिए बिना कि व्याज आयकर विभाग द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो गया है, एक बार फॉर्म 15 एच जमा किए जाने के बाद स्रोत पर कर कटौती अनुप्रयोज्य नहीं होगी। एक बार फॉर्म 15 एच जमा किए जाने के बाद अनुवर्ती सावधि जमाओं के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी।
8. फॉर्म 15 एच के विलंब से या यैर-प्रस्तुत या गलत प्रस्तुत किए जाने के कारण उत्पन्न किसी परिणाम या हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
9. मैं/हम पूर्णतया समझते हैं कि पैन के गलत उद्धरण के, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के अंतर्गत दंडात्मक परिणाम हो सकते हैं तथा पैन के गलत उद्धरण के कारण उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है।